

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 385]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2016—भाद्र 25, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

फा. क्र. 56-2015-चार-214.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 56/Symbol/2016/PPS-II, Dated 22-08-2016 राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाती है.

सलीना सिंह, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2016—31 श्रावण, 1938 (शक)

अधिसूचना

सं. 56-प्रतीक-2016-पीपीएस-II.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 एवं 10 के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद-324 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस ओर से आयोग को समर्थकारी बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामतः—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभण.**—(i) इस आदेश को निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) (संशोधन) आदेश, 2016 कहा जाएगा.

(ii) इसे 1 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा और इसे सदैव इसी रूप में प्रभावी हुआ माना जाएगा.

2. पैराग्राफ-6ग का संशोधन.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के मौजूदा पैराग्राफ-6ग को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“6ग. राष्ट्रीय या राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त बने रहने के लिए शर्तें.—(1) पैरा 6क और पैरा 6ख में कुछ भी होते हुए, यदि राज्यीय दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त कोई राजनीतिक दल, उस लोक सभा / संबंधित विधान सभा के साधारण निर्वाचन, जिसके आधार पर उसने मान्यताप्राप्त की थी, के उपरान्त आयोजित लोक सभा या राज्य की विधान सभा, जैसा भी मामला हो, के अगले साधारण निर्वाचन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “अगला निर्वाचन” कहा गया है) में, पैरा 6क या पैरा 6ख, जैसा भी मामला हो, की शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे मान्यताप्राप्त राज्यीय दल या राष्ट्रीय दल, जैसा भी मामला हो, माना जाता रहेगा.

(2) यदि कोई मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल उप-पैरा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, लोक सभा या, जैसा भी मामला हो, राज्य की विधान सभा के अगले निर्वाचन के बाद मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में माना जाना जारी रहता है, तो यह प्रश्न कि क्या लोक सभा या जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य की विधान सभा के किसी अनुवर्ती साधारण निर्वाचन के बाद भी यह मान्यताप्राप्त बना रहेगा, यह उस दल द्वारा पैरा-6क या 6ख, जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने की शर्तों के अधीन होगा.”

आदेश से,  
हस्ता./—  
(वरिन्द्र कुमार)  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

#### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 22<sup>nd</sup> August, 2016—31 Shravana, 1938 (Saka)

#### NOTIFICATION

No. 56-Symbol-2016-PPS-II.—In exercise of the powers conferred by Article-324 of the Constitution of India read with Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897, Rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and all other powers enabling the Commission in this behalf, the Election Commission of India hereby makes the following Order to further amend the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(i) This Order shall be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2016.

(ii) It shall be deemed to have come into force with effect from 1<sup>st</sup> January, 2014, and shall always be deemed to have been so effective.

2. **Amendment of Paragraph-6C.**—The existing Paragraph-6C of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 shall be substituted as follows :—

“6C. **Conditions for continued recognition as a National or State Party.**—(1) Notwithstanding anything in Paragraph 6A and Paragraph 6B, if a Political Party recognized as a State Party or National Party fails to fulfil the conditions of Paragraph 6A or, as the case may be, Paragraph 6B, at the next general election to the House of the People or, as the case may be, to the Legislative Assembly of the State, following the general election to the House / Assembly concerned on the basis of which it got recognition (hereinafter referred to as “the next election”), it shall continue to be treated as recognized State Party or National Party, as the case may be.

- (2) If a recognised Political Party continues to be treated as recognised National Party or State Party after the next election to the House of the People or, as the case may be, to the Legislative Assembly of the State under the provisions of sub-paragraph (1), the question whether it shall further continue to be so recognised after any subsequent general election to the House of the People or, as the case may be, to the Legislative Assembly of the State concerned, shall be subject to the fulfilment by the party of the conditions specified in Paragraph-6A or 6B, as the case may be.”.

By order,  
Sd./-  
(VARINDER KUMAR)  
Principal Secretary,  
*Election Commission of India.*